वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्वता/02–(एक)/2015/2026
दिनांक : 10.09.2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
कृष्णा महाविद्यालय, ताजपुर (उस्मानपुर) पिपरीडीह,
मऊ ।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय एवं स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्वता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1103 (1)/सत्तर–6–2014–2(97)/2014, दिनांक–01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्वता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, **के क्रम में दिनांक–25 अगस्त, 2015 को सम्पन्न विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कृष्णा महाविद्यालय, ताजपुर (उस्मानपुर) पिपरीडीह मऊ को स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय गृहविज्ञान, राज0शास्त्र मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र एवं स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक–01.07.2015 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्वता प्रदान की जाती है:–**

1. **महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र, संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र, तथा कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।**
2. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या– 5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. **महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण तीन माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ–पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है।** तत्पश्चात ही विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम 10.10 के अन्तर्गत कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी, संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्वता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. **रिट याचिका संख्या–61859/2012** में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांक–30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्वता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि जॉच किये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को विश्वविद्यालय द्वारा जॉच हेतु प्रेषित पत्र पर प्राप्त जॉच आख्या के अधीन होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्वता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16 (33)/2015, दिनांक–12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्वता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण–पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1 सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। .
2 निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3 निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
4 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5 परीक्षा नियंत्रक/टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

-Fax.: (05452) 252244, 252344Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि. / सम्बद्वता / 03–(एक) / 2019 / 3835
दिनांक : 8-03-19

सेवा में,

प्रबन्धक,
कृष्णा महाविद्यालय,
ताजपुर (उस्मानपुर), पिपरीडीह,
मऊ।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अतिरिक्त एवं स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्वता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014–2(97) / 2014, दिनांक–01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यकमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्वता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **कृष्णा महाविद्यालय, ताजपुर (उस्मानपुर), पिपरीडीह, मऊ** को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक** स्तर पर **कला संकाय** के अन्तर्गत **अतिरिक्त गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र तथा स्नातक** स्तर पर **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित** विषयों में **सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी द्वारा** निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक– 01.07.2018 से सम्बद्वता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है :–

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या– 5125 / 70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. **महाविद्यालय / संस्था** विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्वता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012, दिनांक–30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
7. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16 (33) / 2015, दिनांक–12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
8. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण–पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
9. महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.H.S.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

07/03/19

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. अधीक्षक, शैक्षणिक को आगामी कार्यपरिषद की बैठक में कार्यपरिषद के संज्ञानार्थ रखे जाने हेतु।
5. परीक्षा नियंत्रक / अतिगोपनीय / परीक्षा विभाग।
6. टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव